चुकता होने वाले विदेशों मुद्रा ऋणों की निकासी के लिए, जिनका अभिप्राय निर्यातोन्मुख परियोजनाओं से है, एक स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है। इस समय मौजूदा विदेशी वाणिज्यिक ऋण नीति में परिकल्पित किए जा रहे कोई भी अन्य बड़े परिवर्तन नहीं है।

(ख) विदेशों वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की निरन्तर पुनरीक्षा विदेशी वाणिज्यिक उधारों के समग्र वातावरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ग) तथापि मौजूदा उपबंधों में परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 1990-91 के पहले तीन महीनों में कुल संवितरणों का अनुमान 2046 करोड़ रुपए है।

विदेशी ऋण पर अदा किया गया ब्याज

2726. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक के दौरान विदेशी ऋण में अत्यधिक वृद्धि के कारण हमारे देश को उस धनराशि पर ब्याज की भारी धनराशि अदा करनी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के दौरान विदेशों से लिए गए ऋणों पर ब्याज के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की गई;

(ग) वर्ष 1990-91 में ब्याज की धनराशि कितनी थी; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा अर्जित कुल राजस्व में से कितनी प्रतिशत धनराशि ब्याज के बतौर विदेशों को अदा की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 और 1990-91 के दौरान विदेशी ऋणों पर देश द्वारा दिए गए ब्याज की कुल राशि क्रमशः 412 करोड़ रुपए और 4069 करोड़ रुपए थी।

(घ) विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान मुख्यतः देश के निर्यातों और अदृश्य आय से किया जाता है। इस प्रकार 1990-91 के दौरान विदेशी ऋण पर दिए गए ब्याज की राशि देश के निर्यात और अदृश्य आय का 8.85 प्रतिशत थी।

रूग्ण तथा नये उद्योगों के लिए ब्याज की कम दर

2727. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थायें इस बात पर सहमत हो गयी हैं कि उनसे ब्याज की वर्तमान दर वसूल किए जाने के बजाय कम दर वसूल की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन उद्योगों को भी ऐसी सुविधायें दिए जाने का निश्चय किया गया है जो अपनी स्थापना की प्रारम्भिक अवस्था में है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि संभावित रूप से अर्थक्षम रूग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए पुनर्वास के उपाय करने के भाग के रूप में सामान्यता बैंक और वित्तीय संस्थाएं ब्याज और अनियमितताओं के निधीकरण ऋणों को पुनर्निधारित करने और सामान्य ऋण दरों की तुलना में ऐसे ऋणों तथा नए कार्यशील पूंजी अग्रिमों पर रियायती ब्याज दर वसूल करने पर सहमत होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्वास के अन्तर्गत रूग्ण/कमजोर औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याज दरों से संबंधित सामान्य पैरामीटर तैयार किए हैं। अलग-अलग मामलों मे वसूल की गई वास्तविक ब्याज दर को बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) नए उद्योगों को, जो स्थापना की आरम्भिक अवस्था में हैं, ऋण सुविधाएं देने के मामले में वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और घोषित दरों के अनुसार ब्याज दरें वसूल करनी होती हैं। नई इकाइयों के मामले में परियोजना मूल्यांकन को ऋण सेवा देनदारियों को पूरा करने के लिए नकदी के प्रवाह की पर्याप्तता को ध्यान में रखना होता है।

Staff assessment by Staff Inspection LVit

2728. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether due to the liberalisation in industrial policies any assessment of staff has been conducted by Staff Inspection Unit of Ministry of Finance; and

(b) if so, the details thereof ministry wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) In pursuance of the objectives and functions assigned to Staff Inspection Unit under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, it reviews the man-power requirements of Government Departments (excluding the Railways which have their own arrangements) through cyclical programme of inspection drawn up well in advance under its Annual Action Plan.

In addition, it also carries out ad-hoc studies of organisations referred to it by the Ministry of Finance involving proposals for creation of a large number of posts.

No study has been carried out by SIU specifically for assessment of staff due to liberalisation in industrial policy.

Merger of certian attached Offices with Administration Ministries

2729. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to merge the attached offices like Directorate of Economics and Statistics (Ministry of Agriculture), Directorate of Sugar (Ministry of Food) Directorate of Vegetable Oil and Vanaspati (Ministry of Civil Supplies) to effect economy in the administrative expenditure, if so, the details thereof;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether the staff strength in the administrative divisions on the above mentioned offices is according to the norms prescribed by STAFF INSPECTION UNIT; if not, the reasons therefor; and

(d) what is the amount of savings that will be effected by adopting the SIU norms and by merging them with the administrative ministries, Directorate-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) and (b) No such proposal is under consideration of the Government at present.

(c) The staff strength in the Directorate of Vegetable Oil and Vanaspati is according to norms prescribed by S.I.U. The Directorate of Economics & Statistics and Directorate of Sugar have not been studied by the S.I.U during the last three years.

(d) No study by S.I.U. to estimate the savings as a result of merger of attached offices with administrative Ministries has been carried out. However, the S.I.U. studies have identified savings of Rs. 11.34 lakhs in the Directorate of Vegetable Oil and Vanaspati as a result of adoption of S.I.U norms without the merger of this Directorate with the Ministry of Civil Supplies.

Income tax assessment of Paradip Port workers

2730. SHRI PRAVAT KUMAR SAMANTARAY:
SHRI SARADA MOHANTY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some workers of a group of contractors (C.H.W. 1001) at Paradip Port are being assessed for payment of Income-tax for exceeding their annual income from their salary earning by Commissioner Income Tax, Orissa, Bhubaneshwar; and

(b) if so, what are the details and reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes Sir.

(b) Some workers belonging to the